UPBJ010091622023

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नम्बर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408
सिविल अपील संख्याः– 84/2023

मु0 मसीतन आदि बनाम जुल्फिकार अहमद आदि

09–01–2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र क–11 नियत है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र क–11 पर सुना गया।

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क–11 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त अपील में तरतीबी प्रत्युत्तरदाता वादी सं0 1 नासिर अली को नोटिस जारी किये गये थे, तब नोटिस पर इन्द्राज होकर आया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तब दिनांक 06–11–2023 को उसकी मृत्यु का ज्ञान हुआ। तदोपरान्त अपीलान्ट ने मालूमात की, तब ज्ञान हुआ कि उक्त नासिर की मृत्यु दिनांक 03–08–2021 को हो चुकी है तथा उसने अपनी मृत्यु के उपरान्त अपनी एक पत्नी तथा अपने दो पुत्र व तीन पुत्रियों को अपने उत्तराधिकारियों के रूप में छोडा है। इसलिये अपील के आधार में मृतक नासिर अली के वारिसान अंकित कराने की आवश्यकता पेश आयी। हालांकि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई दादरसी नहीं चाही गयी है। उक्त कथनों के साथ प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन कराये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र ख–12 इसरार अहमद प्रस्तुत किया गया है।

उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति का समय मांगा गया। किन्तु उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क–11 में वर्णित तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत अपील में उत्तरदाता सं0 2 नासिर अली की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मृतक नासिर अली के उत्तराधिकारियों को अपील में पक्षकार बनाये जाने तथा सम्बन्धित संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने याचना की गयी है। उत्तरदातागण की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के

अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र क–11 के माध्यम से जो संशोधन चाहा गया है, उक्त संशोधन से अपील/वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र क–11 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र क–11 स्वीकार किया जाता है। संशोधन प्रार्थना पत्र क–11 के द्वारा चाहा गया आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 07–02–2024 को पेश हो।

(हनी गोयल)

दिनांकः 09–01–2024

अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।
J.O. Code- U.P.-02408